न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, जिला–हरिद्वार।
प्रकीर्ण प्रा०पत्र सं0–28/2026
कम्प्यूटर सं0 1332/2026
श्रीमती ईला बनाम दक्ष दूबे आदि
धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.
थाना–कनखल, हरिद्वार।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस.

दिनांक–12.06.2026

पत्रावली आज प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र अतंर्गत **धारा–175(3) बी.एन.एस.एस.** पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता **श्री गोपाल चतुर्वेदी** को प्रार्थना पत्र पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, जो पत्रावली में संलग्न है।

02. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीया का विवाह दिनांक 22.02.2023 को दक्ष दूबे पुत्र श्री अखिलेश दूबे निवासी 590 कोट इस्ट सम्भल थाना सम्भल जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार काफी धूमधाम से विकम पैलेस, सम्भल उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ था। इससे पूर्व रोकना दिनांक 08.05.2022 को होटल एस०आर० ग्रान्ड शिवालिक नगर हरिद्वार में हुआ। जिसमें एक लाख रूपये प्रार्थीया के पति दक्ष दूबे उनकी माता श्रीमति क्षमा दूबे (7668548982), पिता श्री अखिलेश दूबे (7505060013) और उनके बडे भाई अक्ष दूबे (9456308611) को बतौर मिलाई उनकी मांग पर दिये थे व अच्छा भोज किया था। दिनांक 18.02.2023 को प्रार्थीया की रिंग सेरेमनी दक्ष के साथ गार्डेनिया सिडकुल हरिद्वार में की थी। इस दौरान दिनांक 18.02.2023 को दक्ष दूबे उनकी माता क्षमा दूबे व पिता अखिलेश दूबे और बडे भाई अक्ष दूबे ने प्रार्थीया की माताजी से कहा कि शादी में मु0 40 लाख रूपये नकद व फार्चुनर कार दो। प्रार्थीया की माता द्वारा इतनी बडी मांग को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की गई तो उन्होने कहा कि इंतजाम कर लेना अभी कोई इतनी जल्दी नही है। दक्ष व उसके परिजनों के कहने पर सम्भल में जाकर शादी की।

03. शादी में खर्चे के नाम पर विपक्षी व उसके माता पिता व बडे भाई अक्ष द्वारा बीस लाख रूपये प्रार्थीया की माता से नकद लिये तब बरवक्त शादी के प्रार्थीया के परिजनो ने प्रार्थीया की सास श्रीमति क्षमा दूबे सोने की दो तोले की चौन मय लोकेट, एक जोडी कुण्डल सोने के आध ा तोला, नाक की सोने की लोंग, आधा तोला सोने की अंगूठी व एक जोडी पाजेब चाँदी की, ससुर अखिलेश जी व जेठ अक्ष दूबे व उनकी धर्मपत्नी को आधे–आधे तोले की सोने की अंगूठियां व दक्ष दूबे को एक सोने की चौन एक तोले की, दो सोने की अंगूठियां जिनमें एक डायमण्ड जडी थी व प्रार्थीया को एक सोने का सैट 5 तोला जिसमें एक जोडी कंगन, दो अंगूठियां सोने की, एक चौन मय लोकेट सोने, सोने की एक लोंग एक जोडी कुण्डल सोने के, दो जोडी चाँदी की पाजेब बतौर स्त्रीधन प्रार्थीया, दक्ष वं उसके परिवार वालो को अमानत के रूप में सौंपें थे। शादी में इलेक्ट्रोनिक्स

आईटम के बदले बीस लाख रूपये दिए थे। प्रार्थीया शादी के बाद विदा होकर विपक्षी के साथ सम्भल स्थित उसके निवास पर गई और दाम्पत्य कर्तव्यो का निर्वाह करने लगी।

04. प्रार्थीया के पिताजी का दिनांक 22.05.2021 को स्वर्गवास हो गया था जो बी०एच०ई०एल० हरिद्वार के में कार्यरत थे। दिनांक 08.05.2022 को दक्ष व सास, ससुर नें कहा कि तुम्हारे पिताजी का 70 लाख रूपये का फण्ड मिला होगा और तुम्हारा भाई भी बढिया नौकरी करता है, तुम्हारा एक मकान सुभाषनगर ज्वालापुर में और एक प्लॉट शुभम विहार कनखल में है हमें प्लॉट दो हम उस तीन मंजिला पीजी बनायेगें। इस बीच दिनांक 21.05.2022 को दक्ष दूबे की अमे. रिका में नौकरी लग गयी थी शादी के लिए दक्ष भारत आया व इसके बाद दक्ष दूबे दिनांक 02.04. 2023 को अमेरिका चले गये और प्रार्थीया दिनांक 16.05.2023 को अकेली दक्ष दूबे के अमेरिका स्थित हाल निवासी मार्फत Xforia Inc, 9300 Wade Blvd Ste 220, Frisco, Texas, TX 75035 (USA) पर चली गई। अमेरिका में शुरू दो चार दिन दक्ष दूबे का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति ठीक रहा उसके बाद दक्ष, प्रार्थीया को ताने मारने लगा। दिनांक 20.05. 2023 को दक्ष ने कहा कि ना तो तुमने व तुम्हारे परिवार वालो फार्च्यूनर कार दी और ना ही हमारी 40 लाख रूपयो की मांग पूरी की, मेरी शादी एक आई०ए०एस० से हो रही थी और हमे एक बडा माल मिलता तुम कंगलो के यहां मेरा मुकददर फुट गया। कभी कभी दक्ष बेवजह प्रार्थीया को मारपीट कर देता था।

05. प्रार्थीया के समझाने पर दक्ष बडी मुश्किल से शान्त होता था। तभी ता० 24.09.2023 को हमने दक्ष का अमेरिका में जन्मदिन मनाया तब दक्ष ने जन्मदिन के अगले दिन पहली बार मुझे बाहर खाना खिलाया। लेकिन दिनांक 24.09.2023 को रात को फिर मुझे दक्ष ने तुम्हारी माँ ने शादी में क्या दिया है और दहेज की मांग करते हुए दक्ष ने प्रार्थीया को फिर मारपीट, तंग परेशान करना शुरू कर दिया। दिनांक 26.09.2023 को दक्ष ने मेरा गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। दक्ष ने मुझे वक्त बवक्त मानसिक रूप से प्रताडित करना और भी ज्यादा कर दिया जिससे प्रा. र्थीया बीमार हो गयी। प्रार्थीया का दक्ष ने वहां पर ईलाज भी नहीं कराया, तब मजबूर होकर प्रा. र्थीया दिनांक 10.10.2023 को अमेरिका से भारत आ गयी और अपने मायके में अपना ईलाज कराया। आज तक प्रार्थीया का दक्ष ने कोई हाल नही पूछा।

06. दिनांक 09.11.2023 को दक्ष अमेरिका से भारत आया वहां दिल्ली एयरपोर्ट पर दक्ष को मैं अपनी माँ के साथ लेने गयी और वहां से हम सम्भल गये। तब प्रार्थीया की माता ने दिनांक 09. 11.2023 को दक्ष व उसके माता पिता को सम्भल में पांच लाख रूपये दिये। इसके बाद 29.01. 2024 को प्रार्थीया अमेरिका गयी वहां दिनांक 01.02.2024 को दक्ष ने फिर से मारपीट की, मेरे समझाने पर हाथ जोडने पर दक्ष फिर ठीक रहे और फिर वैसा ही व्यवहार मेरे से करने लगे। हमारे अमेरिका प्रवास के दौरान दक्ष के मित्र विकास, रचना ने दक्ष के अमानवीय रंग ढंग को देखकर दक्ष को समझाने की कोशिश की लेकिन दक्ष पर कोई असर नही पडा और प्रार्थीया को दक्ष ने जबरन मारपीट कर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 01.10.2024 को अमेरिका से इण्डिया भेज दिया। दक्ष के दुर्व्यवहार व उपेक्षा से प्रार्थीया डिप्रेशन में चली गई थी। अब तक

दक्ष ने मुझसे कोई बात नही की। तब हमारी परिचित डॉ० शिवानी भारद्वाज ने दिनांक 09.06.2025 को अमेरिका में दक्ष से मिलने व समस्या समाधान करने की बात कही थी। परन्तु दक्ष ने फोन ब्लॉक कर दिया। दिनांक 29.06.2025 को हद हो गयी कि जब उस शाम को मेरे जेठ श्री अक्ष दूबे मेरे मायके आये और कुछ देर बात करने के बाद सीधा कहा कि जब आप लोग हमारी फार्चुनर कार व नकद रूपयो की मांग पूरी नही कर सकते हो तो चलकर तलाक ले लो अब हमने व हमारे माता–पिता व दक्ष ने तलाक का फैसला लिया है। जिससे हम हक्के बक्के हो गये। हमारे समझाने पर उन पर कोई असर नहीं पडा।

07. मेरे पति श्री दक्ष, जेठ श्री अक्ष, सास श्रीमति क्षमा व ससुर श्री अखिलेश ने दहेज के लिये मेरा जीवन नर्क बना दिया है। जो इनका आपराधिक कृत्य है। इनके खिलाफ मै मजबूर होकर मैने थानाध्यक्ष कनखल को दिनांक 30.06.2025 को प्रार्थना पत्र दिया था तो दक्ष के घरवाले राजीनामा करने का कहकर अब तक बेवकूफ बनाते रहे और अब मुझे बिना दहेज की मांग पूरी किये ले जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। मैं अब तक सब कुछ सहती रही हूं। प्रार्थिया ने दिनांक 21.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना कनखल व श्रीमान प्रभारी महोदया, महिला हैल्पलाइन, जनपद हरिद्वार व दिनांक 22.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को प्रा०पत्र प्रेषित किये है। परन्तु कोई कार्यावाही अब तक नहीं हुई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। दिनांक 03.10.2024 से प्रार्थीया अपने मायके में निवास करती चली आ रही है तथा अपने माता पर बोझ बनी हुई है। प्रार्थीया अपना मुकदमां दर्ज कराना चाहती है।

08. जिस कारण से प्रार्थीया का मुकदमा विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना आवश्यक एंव प्रार्थनीय है। प्रार्थीया का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश थाना कनखल पुलिस को दिए जाने आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र के साथ थाना कनखल, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार को प्रेषित प्रार्थना पत्रों की प्रति संलग्न है। विपक्षीगण का उक्त अपराध संज्ञेय प्रकृति के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। प्रार्थिया का यह प्रथम प्रा० पत्र है प्रार्थिया द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद यो. जित नही किया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण के विरूद्ध कड़ी से कडी कानूनी कार्यवाही हेतु उपरोक्त वाके की थाना कनखल में रिपोर्ट दर्ज कर, मुलजिमान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

09. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, तथा सूची दस्. तावेज से थाना कनखल में दी गयी तहरीर दिनांकित 21.04.2026 एवं एस0एस0पी0 हरिद्वार को भ. जी गयी तहरीर दिनांकित 22.04.2026, महिला हैल्पलाईन, हरिद्वार को प्रेषित प्रार्थना पत्र आदि प्रस्. तुत किये गये।

10. प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि वादिया ईला व प्रतिवादी दक्ष दूबे उपरोक्त का विवाह वर्ष 2023 में

हिन्दू रीति–रिवाज के साथ सम्पन हुआ है। शादी के पश्चात वादिनी अपने ससुराल सम्भल में निवास करने लगी व दक्ष दूबे नौकरी के सिललिले में अमेरिका आ गया। परिवार कि सहमती से दिनांक 16.05.2023 को वादिनी अपने पति दक्ष दूबे के साथ अमेरिका चली गयी थी व अमेरिका में ही निवास करने लगी। तत्पश्चात वादिनी 01.10.2024 को अमेरिका से अपने पति से परेशान हो कर अपने मायके हरिद्वार आ गयी व तब से अपने मायके में ही निवास कर रही है। वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में उपने सुसुराल पक्ष के अपने पति पर संबल उ0प्र0 में मारपीट करने व उस मारपीट में उसके पारिवारिक सदस्यों अन्य प्रतिवादीयों द्वारा साथ देने व अमेरिका जाने के पश्चात वहाँ भी अपने पति द्वारा उसके साथ पुन मारपीट करने, दहेज के रुप में 40 लाख रुपये व फोर्चनुर गाडी की माँग करना, अपने स्त्रीधन के रुप में सोने, चाँदी के आभुषण अपने ससुराल पक्ष के पास होने व इलेक्ट्रोनिक्स आइटम के बदले बीस लाख रुपये लेने आदि का आरोप लगाया गया है। आवेदिका द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिये प्रताडित करने व मारपीट करने सम्बन्धित आरोप लगाये गये है। प्रतिपक्ष को जरिये टेलीफोन बयान हेतु चौकी जगजीतपुर बुलाया गया था। प्रतिपक्ष के दक्ष दूबे (वादिनी का पति) व अखिलेश दूबे (वादिनी का ससूर) चौकी उपस्थित आये व प्रकरण के सम्बन्ध में दोनो से वादिनी व उसकी माँ कि मौजूदगी में जानकारी करने पर प्रतिपक्ष द्वारा बताया कि सर शादी के बाद ईला का व्यवहार हम पारिवारिक सदस्यों के लिये बदल गया था। वह हमारे लडके को परिवार के खिलाफ भडकाती थी व उसको कहती थी कि सेलरी के पैसें माँ–बाप को नही देने है व उनसे ज्यादा मतलब नही रखना है। जिस कारण हम भी उसको नापसन्द करने लगे व पारिवारिक विवाद बढ गया। हमारे द्वारा उससे दहेज कि कभी माँग नही कि गयी बस इतना था कि वह परिवार में सही से रहे। परन्तु उससे वह भी नही हो पाया। उसके द्वारा हमे महिला हैल्प लाइन हरिद्वार, कोर्ट व घसीटा गया है। अब हम भी परेशान हो गये है। अपने बयान हम भी कोर्ट में जज सहाब को देगें। वादिनी व उसके पति दक्ष दूबे का पारिवा. रिक विवाद है। दोनो पक्ष एक–दूसरे से नाखुश है दोनो एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते है। दोनो पक्षो कि काउन्सलिगं महिला हैल्पलाइन हरिद्वार में हुयी है। परन्तु विवाद नही सुलझा आवेदिका द्वारा अपने पति दक्ष दूबे दूबे के के बिरुद्ध माननीय न्यायालय में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण–पोषण का वाद दायर किया गया है। उक्त के अतिरिक्त दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात दोनो पक्ष एक–दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद करने कि बात कह रहे है। वादिनी द्वारा दहेज कि माँग करने, मारपीट करने, घरेलू हिंसा करने आदि लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्यध्रमाण मुझ जाँच अधिकारी को नही दिया गया है। पोषणीय साक्ष्यों के अभाव के चलते लगाये गये आरोपो कि पुष्टी नही हो पायी है। वर्तमान में आवेदिका 01.10. 2024 से अपने मायके में निवास कर रही है। उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में कोई भी मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत नही है।

11. प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र पर संबंधित महिला हैल्प लाईन से आख्या आहूत की गयी। जो पत्रावली पर संलग्न है।

12. प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था PRITI KUMARI V/S THE STATE OF BIHAR & ORS. And CRIMINAL APPEAL NO. 1387 OF 2019 (@ S.L.P (Crl.) No(s). 712/2018 दाखिल की गयी है।

13. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

14. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। **धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 निम्नलिखित प्रावधान करती है।**

(1) कोई पुलिस थाने का.....

(2) ऐसे किसी मामले में.....

(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् तथा इस सम्बन्ध में किए गए निवेदन पर, ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार ऐसे अन्वेषण का आदेश दे सकता है।

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय के संक्षेप में कथन किये गये है कि प्रार्थीया का विवाह दिनांक 22.02.2023 को विपक्षी सं0 1 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। इससे पूर्व रोकना दिनांक 08.05.2022 में एक लाख रूपये विपक्षीगण को बतौर मिलाई पर दिये थे। इस दौरान दिनांक 18.02.2023 को विपक्षीगण से कहा कि शादी में मु0 40 लाख रूपये नकद व फार्चुनर कार दो। विपक्षी सं0 1 व उसके परिजनों के कहने पर सम्भल में जाकर शादी की। शादी में खर्चे के नाम पर विपक्षीगण द्वारा बीस लाख रूपये प्रार्थीया की माता से नकद लिये। प्रार्थीया के परिजनो ने प्रार्थीया की सास विपक्षी सं0 2 को सोने की दो तोले की चैन मय लोकेट, एक जोडी कुण्डल सोने के आध ा तोला, नाक की सोने की लोंग, आधा तोला सोने की अंगूठी व एक जोडी पाजेब चाँदी की, विपक्षी सं0 3 व 4 व विपक्षी सं0 4 की पत्नी को आधे–आधे तोले की सोने की अंगूठियां व विपक्षी सं0 1 को एक सोने की चैन एक तोले की, दो सोने की अंगूठियां जिनमें एक डायमण्ड जडी थी व प्रार्थीया को एक सोने का सैट 5 तोला जिसमें एक जोडी कंगन, दो अंगूठियां सोने की, एक चैन मय लोकेट सोने, सोने की एक लोंग एक जोडी कुण्डल सोने के, दो जोडी चाँदी की पाजेब बतौर स्त्रीधन प्रार्थीया, विपक्षीगण को अमानत के रूप में सौंपें थे। शादी में इलेक्ट्रोनिक्स आईटम के बदले बीस लाख रूपये दिए थे।

16. प्रार्थीया के पिताजी का दिनांक 22.05.2021 को स्वर्गवास हो गया था जो बी०एच०ई०एल० हरिद्वार में कार्यरत थे। दिनांक 08.05.2022 को विपक्षी सं0 1, 2 व 3 नें कहा कि प्रार्थिया के पिताजी का 70 लाख रूपये का फण्ड मिला होगा और तुम्हारा भाई भी बढिया नौकरी करता है, तुम्हारा एक मकान सुभाषनगर ज्वालापुर में और एक प्लॉट शुभम विहार कनखल में है हमें प्लॉट दो हम उस तीन मंजिला पीजी बनायेगें। इस बीच दिनांक 21.05.2022 को विपक्षी सं0 1

की अमेरिका में नौकरी लग गयी थी शादी के लिए विपक्षी सं0 1 भारत आया व इसके बाद विपक्षी सं0 1 दिनांक 02.04.2023 को अमेरिका चले गये। दिनांक 20.05.2023 को विपक्षी सं0 1 ने कहा कि ना तो तुमने व तुम्हारे परिवार वालो ने फार्च्यूनर कार दी और ना ही हमारी 40 लाख रूपयो की मांग पूरी की। विपक्षी सं0 1 बेवजह प्रार्थीया को मारपीट करता तथा दिनांक 26.09.2023 को विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थिया का गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थिया को मानसिक रूप से प्रताडित किया जिससे प्रार्थीया बीमार हो गयी। प्रार्थीया दिनांक 10.10.2023 को अमेरिका से भारत आ गयी और अपने मायके में अपना ईलाज कराया। प्रार्थीया की माता ने दिनांक 09.11.2023 को विपक्षी सं0 1, 2 व 3 को सम्भल में पांच लाख रूपये दिये। दिनांक 29.01. 2024 को प्रार्थीया अमेरिका गयी। प्रार्थीया को विपक्षी सं0 1 ने मारपीट कर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 01.10.2024 को अमेरिका से इण्डिया भेज दिया।

17. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने से तथा सम्बन्धित महिला हैल्प लाईन से आख्या आहुत की गयी है। जो पत्रावली पर संलग्न है। आख्या के अनुसार घटना के होने की पुष्टि होती है तथा थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नही है।

18. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा PRITI KUMARI V/S THE STATE OF BIHAR & ORS. And CRIMINAL APPEAL NO. 1387 OF 2019 (@ S.L.P (Crl.) No(s). 712/2018** में प्रतिपादित किया गया है कि– We, therefore, hold that the courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, would, dependent on the factual situation, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences under Section 498A of the Indian Penal Code." In view of the above, the criminal appeal is allowed and the judgment of the High Court is set aside. Pending application, if any, stands disposed of.

19. अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, पुलिस तथा महिला हैल्प लाईन की आख्या, उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना दृर्शित होता है। जिसके लिये पुलिस अन्वेषण कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आदेश से निस्तारित किया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थिया ईला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत **धारा–175(3) बी.एन.एस.एस.** स्वीकार किया जाता है।

थाना प्रभारी थाना **कनखल** को आदेशित किया जाता है कि वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारी से नियमानुसार उपरोक्त प्रकरण का अन्वेषण कराया जाना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित थाना प्रभारी/अन्वेषण अधिकारी को यह भी आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मामला पंजीकृत करने के पश्चात प्रस्तुत मामले मे कोई भी गिरफतारी तब तक नही करेगें या करवायेगे, जब तक ऐसा करना आवश्यक न हो। इसके अति. रिक्त गिरफतारी आवश्यक होने पर धारा 35 बी0एन0एस0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमीनल अपील सं0 1277/2014, के निर्णय दिनांकित 02.07.2014** में दिये गये दिशा निर्देर्शो का अनुपालन करेंगें और करवायेंगें।

इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी को अविलम्ब उचित माध्यम से प्रेषित की जाये।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(शैलेन्द्र कुमार यादव)
न्यायिक मजिस्टेट,द्वितीय
जिला–हरिद्वार।